राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 18/2013/अजमेर

मैसर्स मोहन लाल गौतम चन्द,ब्यावर — अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत–ब्यावर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः

श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक — अपलार्थी की ओर से

श्री जमील जई
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 30.08.2016

निर्णय

यह संशोधन प्रार्थना पत्र अपीलार्थी द्वार राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा द्वारा अपील संख्या 780/2007/अजमेर में पारित निर्णय 23.02.2012 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा दिनांक 30.08.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त संशोधन प्रार्थना पत्र वह विड्रा करना चाहता है, क्योंकि राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2012 के द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 13.01.2014 को आदेश पारित कर दिया गया है।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने संशोधन प्रार्थना पत्र विड्रा करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं उठाई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा प्रस्तुत विड्रावल प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त संशोधन प्रार्थना पत्र विड्रा करने का निवेदन किया गया है, जिसको स्वीकार किया जाकर जरिए विड्रावल संशोधन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
सदस्य